राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर

आदेशिका

दिनांक 18.02.2019 परिवाद संख्या 2019/17/609

समक्ष : खण्डपीठ

माननीय अध्यक्ष : न्यायमूर्ति श्री प्रकाश टाटिया
माननीय सदस्य : न्यायमूर्ति श्री महेशचन्द्र शर्मा

राजस्थान में "गुर्जर आरक्षण" के आन्दोलन, प्राप्त जानकारी के अनुसार गत 13 वर्षों से समय-समय पर किये गये। ये सभी आन्दोलन या इनमें से कई आन्दोलन रेल की पटरियों पर किये गये हैं। इस कारण से समय-समय पर अनेक रेलगाडियों के मार्ग बदले गये या कई रेलगाडियां रद्द भी की गई। इन आन्दोलनों में राजमार्ग भी रोके गये। ऐसे आन्दोलनों में वर्ष 2006 से 2015 तक के आंकडे राज्य के पुलिस विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये। इन सम्पूर्ण आंकडों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार से किसी विषय पर त्वरित निर्णय कराये जाने हेतु एक ही प्रकार का आन्दोलन, रेलमार्ग (विशेष रूप से) व सडकमार्ग रोकना एक कारगर माध्यम बन गया है।

रेलमार्ग में यात्रा करने वाले निर्दोष व्यक्ति कई मायनों में यात्रा की प्रकृति को देखते हुए असहाय हो जाते हैं। ये व्यक्ति अगर रेलमार्ग के किसी गलत स्थान पर आन्दोलन में फँस जायें तो सर्वाधिक आतंकित

व्यक्ति बन जाते हैं। इन यात्रियों के पास में रोके गये स्थान से वापस रवानगी स्थल या गंतव्य स्थान अथवा अन्य किसी सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए साधनों का अभाव होना स्वभाविक है। इन यात्रियों में वृद्धजन, महिलाएं, बालक, दिव्यांग, जरूरतमन्द तथा अतिआवश्यक यात्रा पर जाने वाले व्यक्ति हजारों की संख्या में होते हैं। रेलमार्ग पर किये गये आन्दोलनों के कारण से राज्य सरकार की स्थिति, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 11 फरवरी, 2019 से ही स्पष्ट है। ऐसे आन्दोलन में राज्य सरकार द्वारा तत्काल कार्यवाही में डर बताया गया है कि, "***वर्तमान में अवरूद्ध रेलवे ट्रेक/सडक मार्गों को पुलिस बल का उपयोग कर खुलवाया जाना उपयुक्त नहीं समझा गया है क्योंकि इससे व्यापक स्तर पर हिंसा एवं जनहानि की आशंका है।***" अतः इस भय के वातावरण में रेल व सडकमार्ग पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों के मानव अधिकारों के विषय पर राज्य आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है।

आयोग को उपलब्ध कराई गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2006 से 2015 तक के दर्ज प्रकरणों में से प्रत्येक वर्ष के प्रकरणों में न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने के पश्चात भी राज्य सरकार द्वारा आपराधिक प्रकरण समाप्त करवाये गये। इन समाप्त कराये गये प्रकरणों की संख्या 162 है। यहां यह उल्लेखनीय है कि गुर्जर आरक्षण आन्दोलन में वर्ष 2006 से 2015 तक दर्ज प्रकरणों में कुल मुल्जिमान की संख्या 8,550 है।

राज्य आयोग द्वारा अपने प्रसंज्ञान आदेश दिनांक 08 फरवरी, 2019 में स्पष्ट टिप्पणी की गई है कि इस प्रकार के आन्दोलनों द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद-19 के तहत सुरक्षित अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता व जन आन्दोलन के अधिकार की मूल भावनाओं की खुले आम धज्जियां उडाई जा रही है और ऐसे प्रकरणों में राज्य सरकार द्वारा आपराधिक प्रकरण न्यायालय से वापस लिये जा रहे हैं तथा आरोपियों को एक समान ही गम्भीर अपराध बार-बार करने से रोकने हेतु न तो पाबन्द किया जा सकता है और न ही पूर्व में समाप्त किये गये ऐसे गम्भीर अपराधों को पुनः स्थापित किया जा सकता है। इन कारणों से राज्य आयोग द्वारा आमजन व पीडित नागरिकों के मानव अधिकारों को कानून से सुरक्षित होना प्रथमदृष्ट्या नहीं पाया गया है। अतः राज्य आयोग द्वारा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 (घ) के तहत विचार करने हेतु निर्णय लिया गया है। अधिनियम, 1993 की धारा 12 (घ) की धारा निम्न प्रकार से है :-

> **"संविधान या मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंधित रक्षोपायों का पुनर्विलोकन करना और उनके प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना; "**

राज्य सरकार द्वारा अपने आवश्यक व संक्षिप्त जवाब दिनांक 11 फरवरी, 2019 के पश्चात अपने जवाब दिनांक 15 फरवरी, 2019 से

आयोग के समक्ष इस प्रकरण को समाप्त करने हेतु प्रार्थना की गई है। राज्य सरकार के अनुसार वर्तमान प्रकरण, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग (प्रक्रिया) विनियम, 2001 के नियम 9 (झ) की परिधि में होने से प्रकरण आयोग के क्षेत्राधिकार में नहीं है। विनियम, 2001 का नियम 9 (झ) निम्न प्रकार से है :-

"जहां मामला किसी न्यायिक अधिमत या आयोग के विनिश्चय के अन्तर्गत आता हो,"

राज्य आयोग द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा निर्णित किसी भी प्रकरण तथा भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 321 के अन्तर्गत अभियोजन वापस लिये जाने के आदेशों को न तो चुनौती दी जा रही है और न ही कानूनन राज्य आयोग को न्यायिक आदेशों के वैधता पर सुनवाई का अधिकार है। आयोग द्वारा स्पष्ट रूप से विधि के प्रावधानों में कमी के कारण से ऊपर वर्णित पीडित व्यक्तियों के मानव अधिकारों की सुरक्षा नहीं होने के बिन्दु पर विचार किया जा रहा है जिस पर विचार करने हेतु राज्य आयोग को अधिनियम, 1993 की धारा 12 (घ) के तहत अधिकार है। अतः राज्य सरकार की प्रार्थना, कि प्रकरण में विचाराधीन बिन्दु पर विचार करने का आयोग का क्षेत्राधिकार नहीं है, निरस्त की जाती है।

विधि के उन प्रावधानों, जिनसे मानव अधिकारों की रक्षा होने में गम्भीर कमियां है, आयोग द्वारा विचार नहीं करना, आयोग की धारा 12

(घ) के प्रावधानों के विरूद्ध है अतः राज्य आयोग अपने विधि के इस अधिकार के तहत इस प्रकरण में विचार जारी रखेगा।

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत आपत्ति दिनांक 15 फरवरी, 2019 द्वारा मात्र आपराधिक प्रकरणों के उन आरोपियों के हितों का ध्यान रखा गया है जिनमें आरोपियों के विरूद्ध बाद अनुसन्धान अपराधकारित करना स्वयं राज्य सरकार/ अनुसन्धानकर्ता द्वारा प्रमाणित पाया गया है। राज्य सरकार द्वारा अपनी आपत्ति दिनांक 15 फरवरी, 2019 में रेलों व राजमार्गों को रोकने के विषय में आम नागरिक के संविधान द्वारा प्रदत्त सुरक्षित विचरण के अधिकार ही नहीं, बल्कि भयमुक्त जीवन की सुरक्षा के बिन्दु पर न तो कोई विचार किया गया और न ही ऐसे पीडितों के मानव अधिकारों के सम्बन्ध में एक शब्द भी अंकित किया गया है।

उपर्युक्त तथ्यों से यह भी स्पष्ट है कि दोषियों को दण्डित करवाकर पीडितों को न्याय दिलाने के राज्य सरकार के संवैधानिक दायित्व तथा पीडित का निष्पक्ष एवं त्वरित अनुसन्धान व आपराधिक प्रकरणों का त्वरित निस्तारण व न्याय जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 में जीवन का अधिकार घोषित किया गया है, पर राज्य सरकार द्वारा अपना कोई पक्ष नहीं रखा गया है।

राज्य सरकार द्वारा धारा 321, भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत न्यायालयों द्वारा गुणावगुण के आधार पर आदेश पारित होने पर फौजदारी प्रकरण न्यायिक आदेश से समाप्त होने का कथन मात्र किया है।

परन्तु राज्य सरकार द्वारा ऐसे किसी भी निर्णय का उल्लेख नहीं किया गया है जिसमें आयोग जिस विषय पर विचार कर रहा है उस पर इन समाप्त किये गये प्रकरणों में न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया हो कि, एक ही प्रकार के गम्भीर अपराध, विशेष रूप से रेलगाडियों को रोकने के अपराध, जिनकी एक के बाद एक लगातार पुनरावृत्ति हो तब भी केवल पीडित ही नहीं, बल्कि राज्य सरकार स्वयं भी पूर्णतया असहाय रहेंगी। अतः इस प्रकार के मामलों से किस प्रकार से पीडितों के मानव अधिकारों की रक्षा हो सकती है, इस पर राज्य सरकार अपना पक्ष अब रख सकती है।

आयोग यह भी स्पष्ट करना उचित समझता है कि विधि के विचारणीय प्रश्न को मात्र गुर्जर आंदोलन से संबंधित नहीं रखकर, गुर्जर आंदोलन के दौरान हुई लगातार घटनाओं से कानून के प्रावधानों में क्या कोई कमी है? विचार करने के लिये तथ्य के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे आंदोलन से भविष्य में अन्य आंदोलनकारियों को रेल की पटरियों पर आंदोलन करने से सरकार द्वारा तत्काल निर्णय लिये जाते हैं ऐसे संदेश का होना आवश्यक है, अन्यथा वर्तमान में आम धारणा यही है कि जितना अधिक हिंसक आंदोलन होगा, जितना गैर कानूनी दबाव व भय का वातावरण उत्पन्न किया जायेगा उतना जल्दी प्रशासनिक अथवा राज्य का निर्णय होगा। ऐसी घटनाओं को प्रोत्साहन मिलने से अहिंसक आंदोलन हिंसक आंदोलन में परिवर्तित हो जायेंगे। अतः राज्य सरकार से विषय की गम्भीरता पर विचार कर आयोग के इस अनुसंधान (Research) के कार्य में सहयोग दिया जाना अपेक्षित है।

गम्भीर चिन्तन के पश्चात अपराध के लिये मुल्जिमान को अनुसन्धान के पश्चात न्यायालय के समक्ष रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार को निश्चित कारणों से दी गई है जिसमें यह विश्वास का मूल है कि पीडित को न्याय दिलाना राज्य व राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। विधि के प्रावधानों में अगर बिना पीडित की जानकारी व सहमति से गम्भीर आपराधिक प्रकरण समाप्त किये जाते हैं तो यह कानून किन कारणों से भारतीय संविधान के अनुच्छेद–21 के विरूद्ध नहीं है? इस पर भी राज्य सरकार अपना पक्ष रखें। इन कारणों से स्पष्ट है कि पीडित का जिस पर भरोसा है वह भरोसे को भंग करें तब भी पीडित असहाय ही देखता रहेगा।

इस प्रकरण में इस महत्वपूर्ण तथ्य को महत्व दिया जाना चाहिए था कि ऐसे आन्दोलनों में पीडित व्यक्तियों के साथ जो अपराध व उनके मानव अधिकारों का हनन हुआ है उसकी रक्षा हेतु साधारणतया वे स्वयं न्यायालयों में नहीं जा पायेंगे। अतः ऐसी सूरत में राज्य व राज्य सरकार के संवैधानिक व विधिक कर्तव्य और अधिक गम्भीर हो जाते हैं।

राज्य आयोग कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है, परन्तु इस प्रकरण में आन्दोलनकारियों को एक गलत रास्ते से सही (जनतान्त्रिक) रास्ते पर लाने के लिए तथा सुदृढ़ कानून से राज्य के उच्चपदस्थ प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार (Right to dignified life) पर भी टिप्पणी करना चाहेगा, ताकि देश की प्रशासनिक व पुलिस सेवा के

उच्चाधिकारियों को रेल की पटरियों पर बैठ कर वार्ता एवं समझौते करने के लिए नहीं जाना पडे और राज्य के उच्चपदस्थ अधिकारी रेल की पटरियों पर बैठकें कर कुण्ठित न होवें।

आयोग यहां पर उल्लेखित करना उचित समझता है कि प्रथमदृष्ट्या रेलमार्ग की सीमा में अनाधिकृत प्रवेश करना व प्रवेश करने के पश्चात गैर कानूनी कृत्य करना एक केन्दीय कानून THE RAILWAYS ACT, 1989 की धारा 150, 151 व 174 के तहत न मात्र दंडनीय अपराध है, बल्कि धारा 150 के अन्तर्गत रेल्वे लाईन पर किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न करने या रेल्वे लाईन को हटाने, जिससे की रेल में यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो जाता है। ऐसे कृत्य के लिये आजीवन कारावास या 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा का प्रावधान है तथा 150(1) के अनुच्छेद Proviso (b) का प्रक्रिया कानून, दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 321 का सम्मलित अध्ययन करना आवश्यक है। क्योंकि धारा 321 के तहत अनुसंधान में प्रमाणित अभियोग समाप्त किये जाने के कारण से केन्द्रीय कानून के तहत दूसरी बार किये गये धारा 150 (1) THE RAILWAYS ACT, 1989 के बाध्यकारी सजा के प्रावधान, 150(1) Proviso (b) में कानून 07 साल की सजा दिये जाने के प्रावधान को बेमकसद बनाया जा सकता है अथवा बनाया जा रहा है। अतः विषय की गम्भीरता को देखते हुए आयोग में विधि के कई प्रावधानों व विषय पर मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के नियम 12 (घ) के तहत

विचार करना आवश्यक है। इनके साथ ही केन्द्रीय कानून THE RAILWAYS ACT, 1989 की धारा 151 व 174 पर भी विचार किया जायेगा।

आयोग राज्य सरकार की जानकारी में THE RAILWAYS ACT, 1989 की धारा 174 की ओर से विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट करना चाहेगा। धारा 174 THE RAILWAYS ACT, 1989 में विशेष रूप से **रेल रोको आंदोलन या बंद** को दंडनीय अपराध बनाया गया है। अगर रेल रोको आंदोलन जिसे केन्द्रीय कानून द्वारा अपराध घोषित किया गया है। उस आंदोलन स्थल पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी व भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी को वार्ता करने के लिये अपराध की घटना जारी रहते समय, अपराध करते समय, अपराधियों के साथ बैठ कर वार्ता करने के निर्देश देना अत्यन्त गम्भीर विषय है जिस पर आयोग विचार कर रहा है। अतः राज्य सरकार से इस आदेश में पुनः विभिन्न प्रावधानों की ओर ध्यान आकृष्ट कर एवं विषय की गम्भीरता की ओर ध्यान आकृष्ट कर तथा एक संवैधानिक सरकार से अपेक्षा करता है कि इस प्रकरण को किसी एक आंदोलन, आंदोलनकारियों की कितनी भी जायज मांगे हो उससे ऊपर उठकर आमजन व भारत के नागरिकों में से पीड़ितों के अधिकारों के संबंध में आयोग के इस अध्ययन धारा 12(घ), मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में सहयोग करें।

राज्य आयोग द्वारा कारण विस्तार से लिखने की आवश्यकता इस कारण से है कि आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की

धारा 12 (घ) के तहत इस विषय पर मानव अधिकारों की रक्षा हेतु उपायों का पुनर्विलोकन (Review) कर अगर विधि के प्रावधानों में संशोधन हेतु सुझाव दिये जाने हैं तो राज्य के सहयोग से उचित संशोधन की अनुशंषा कर सके। आयोग अपेक्षा करता है कि राज्य सरकार द्वारा इस कार्यवाही को सद्भावना से लिया जायेगा।

राज्य सरकार से आयोग यह भी अपेक्षा करता है कि ऊपर वर्णित कारणों तथा विषय पर राज्य सरकार अपना पक्ष रखें जिनमें विशेष रूप से एक समान अपराधों की बार-बार पुनरावृत्ति करने पर भविष्य में उन प्रकरणों को पुनः स्थापित करने का प्रावधान बनाये जाने हेतु अनुशंषा क्यों नहीं की जावे जो भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 321 के तहत राज्य सरकार द्वारा सद्भावना में समाप्त करवाये गये हों?

आदेश की प्रतिलिपि मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को प्रेषित की जावे।

पत्रावली दिनांक 26 मार्च, 2019 को पेश हो।

(न्यायमूर्ति महेशचन्द्र शर्मा)
सदस्य

(न्यायमूर्ति प्रकाश टाटिया)
अध्यक्ष